न्यायालय सिविज जज(जू०डि०) भोगनीपुर कानपुर देहात।

वाद सं०−126/2016

लालसिंह　　　　　　बनाम　　　　　　लालाराम यादव।

दिनांक 03/08/2022

पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। पुकार पर पक्षकारगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते बनाये जाने तनकी नियत है। पक्षकारों द्वारा सुलह−समझौता की संभावना से इंकार किया गया है।

उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं−

1− क्या वादी वादपत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर वांछित अनुतोष पाने का अधिकारी है ?

2− क्या वादी का वाद अल्पमूल्यांकित है ?

3− क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4− क्या इस न्यायालय को वादी के वाद की सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार नहीं है?

5− क्या वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित है ?

6− क्या वादी का वाद धारा−31 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों से बाधित है ?

7− क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

अन्य कोई वाद बिन्दु न ही बनता है और न ही पक्षकारों द्वारा कोई बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते सुनवाई वाद बिन्दु सं०−2, 3 व 4 हेतु दिनांक 14/09/2022 को पेश हो।

राशि तोमर
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID No. UP 2540